राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 16/2013/चित्तौड़गढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–चित्तौड़गढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सुमेरचन्द अग्रवाल, चित्तौड़गढ़। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :29.04.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **04.10.2012** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो **अपील संख्या 222/रेस्टोरेशन/2012–13** के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 10(4) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष **1993–94** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **20.09.1996** में जरिये कायम की गयी मांग राशि ₹47,812/– को अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि के लिये एकपक्षीय निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.1996 को पारित कर, तद्नुसार मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपित्त उठाते हुये कथन किया कि पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.1996 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् संबंधित उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाड़ा (जिसे आगे ''सक्षम अधिकारी'' कहा जायेगा) के

लगातार.....2

समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, किये गये निर्धारण आदेश को अपास्त कर, पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया था । सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जरिये आदेश दिनांक 22.12.2011 के स्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी को पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था एवम् सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को भी दिनांक 19.01.2012 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया था । कथन किया कि निर्देशित किये जाने के बावजूद भी प्रत्यर्थी व्यवहारी दिनांक 19.01.2012 को अनुपस्थित रहने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिनांक 22.02.2012 के लिये जारी किया गया जिसकी पालना में भी प्रत्यर्थी व्यवहारी के अनुपस्थित रहने की दशा में, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2012 पारित कर, आलोच्य अवधि के संबंध में संशोधित मांग राश्यिां कायम की गयी है । विशिष्ट रूप से कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पारित किये जाने व दिये गये निर्देशों की पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2012 पारित किये जाने के पश्चात, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील जो निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.1996 के संबंध में प्रस्तुत की गयी थी उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अतः उक्त को "सारहीन" घोषित करने की प्रार्थना कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2012 को अपास्त कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण से पूर्व सुनवायी हेतु विशिष्ट नोटिस जारी किये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । विशिष्ट रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की मृत्यु दिनांक 30.09.1999 को हो जाने के कारण पारित किये गये निर्धारण आदेश के संबंध में उसकी पत्नी को जानकारी प्राप्त हुयी जिसके पश्चात् निर्धारण आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त कर, अपील प्रस्तुत की गयी है । परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत उचित है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा

लगातार.....3

उठायी गयी आपत्ति पर विचार किया गया । रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.1996 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से दो भिन्न स्तरों पर कार्यवाही की है। प्रथमतः, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् संबंधित उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाड़ा (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, किये गये निर्धारण आदेश को अपास्त कर, पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जरिये आदेश दिनांक 22.12.2011 के स्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी को पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2012 पारित कर, वसूली योग्य मांग राशि 91,005/— कायम की गयी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई अपील संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

7. द्वितीयतः, प्रत्यर्थी व्यवहारी ने पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.1996 के विरूद्ध के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील अधिनियम की धारा 82 के तहत् प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 04.10.2012 को सुनवायी कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गयी। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने रिकॉर्ड से उक्त तथ्य को दृष्टिगत नहीं किया कि मूल निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.1996 को पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् दिनाक 22.12.2011 को निरस्त किया जा चुका है एवम् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2012 को पारित कर दिया गया है । अतः आदेश दिनांक 20.09.1996 के अस्तित्व में नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2012 "विधिशून्य" है। इस संबंध में उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क स्वीकार योग्य है कि जब मूल निर्धारण आदेश का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत "सारहीन" हो चुकी थी। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.10.2012 विधिशून्य घोषित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

9. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

29.4.2014

(मदन लाल)
सदस्य